परिशिष्ट - एक
[17/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1463]

संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

विन्ध्याचल भवन
"ग" खण्ड, प्रथम तल
भोपाल -462004 (म.प्र.)
☎ - (0755) 2551199, 2552003
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.gov.in

प्राविवि / प्रधान.फसल.बीमा / संविसं / 2019 /3465
दिनांक 30/9 /2019

प्रति

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय, द्वितीय तल,
आर्केड सिल्वर, 56 दुकान के पास, न्यू पलासिया, इन्दौर म0प्र0 ।

विषयः– खरीफ वर्ष 2017 में ग्राम सेमलिया विकास खण्ड बदनावर के कृषकों को सोयाबीन फसल बीमा राशि नही मिलने के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास का ई–मेल दिनांक 25.9.2019.

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ई–मेल का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। लेख किया गया है कि बीमा कंपनी द्वारा 40 किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया आप अवगत ही है कि बैंक द्वारा पोर्टल पर गलत एन्ट्री करने के कारण ही बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नही किया जा सका है। प्रधान मंत्री बीमा योजना मार्गदर्शी निर्देश अनुसार बैंक द्वारा त्रुटि करने के फलस्वरूप ऐसे दावा राशि का भुगतान की जिम्मेदारी बैंक की होगी ।

अनुरोध है कि उक्त पत्र में उल्लेखित प्रकरणों में प्रभावित 40 किसानों के बैंक द्वारा स्वयं बीमा दावे का आंकलन कर बीमा राशि का भुगतान किसानों को 15 दिवस की अवधि में सुनिश्चित किया जाए । बैंक द्वारा विलंब से भुगतान करने की दशा में बीमा दावा राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

अतः इस प्रकरण का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आवक 2063 5/10/19

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सतीश गुप्ता)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त, म.प्र.

LII/1967
U-10/19

पृ.क्र / प्रधान.फसल.बीमा / संविसं / 2019 /3466 — दिनांक 30/9 /2019

प्रतिलिपि,

1:– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
2:– संचालक, संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3:– संभागायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
4:– कलेक्टर धार, जिला धार ।
5:– क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल ।
6:– संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, अरेरा हिल्स, भोपाल ।

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त, म.प्र.

अ.सं.(फ.बी.)

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

Lokesh 2019

Scanned by CamScanner

9 ¼
11/9/19

परिशिष्ट-दो

एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
Agriculture Insurance Company of India Ltd.
म.प्र. क्षेत्रीय कार्यालय-एल.आई.सी. आंचलिक कार्यालय बिल्डिंग, प्रथम तल, नॉर्थ विंग, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 011
MP. RO.– LIC Zonal office Building-60 B, 1st Floor, North Wing Hoshangabad Road, Bhopal-462 011
Phones : 0755-2700131,132,133, Fax : 0755-2700199 Toll Free No. 1800[illegible] E-mail: ro.bhopal@aicofindia.com

संदर्भ : प्रमंफबीयो/खरीफ–2017/984/2019 दिनांक 05.09.2019

कार्यालय कलेक्टर, धार
09 SEP 2019
अधीक्षक कलेक्टर

प्रति,

कलेक्टर महोदय
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धार (म.प्र.)

महोदय,

विषय : खरीफ वर्ष 2017 में ग्राम सेमलिया वि. बदनावर के कृषकों को सोयाबीन फसल बीमा दावा राशि नही मिलने के संबध में।
संदर्भ : आपका पत्र क. अर्द्ध.शा.प.क्र. 9327 दिनांक 03.09.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा लेख है कि नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कानवन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2017 के पोटर्ल में गलत इन्ट्री ग्राम सेमलिया (हलका न. 69) तहसील बदनावार के स्थान पर ग्राम सेमलिया, तहसील सरदारपुर (प. ह. न. 39) में इन्द्राज कर दी है।

तहसील सरदारपुर (प. ह. न. 39), फसल सोयाबीन में उपज में कमी नही पाई गई है।

तहसील	फसल	पटवारी हल्का न.	थ्रेशोल्ड उपज (कि.ग्रा पर हेक्ट.)	वास्तविक उपज (कि.ग्रा पर हेक्ट.)	उपज में कमी	रिमार्क
सरदारपुर	सोयाबीन	39	1127	1240	0	योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा देय नही है।

सूचित करना चाहेगे कि खरीफ 2017 मौसम में भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12/07/2017 जो सभी बैंको के प्रधान कार्यालयों को भेजा गया था में यह निर्देश दिया कि खरीफ 2017 मौसम से बीमाकंन भारत शासन के कॉप इन्शुरेंस पोर्टल द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। तथा पोर्टल पर जो बीमाकन होगा उसी के आधार पर प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा। इसलिए 12/07/2017 से पहले जिन बैंकों द्वारा डिक्लेरेसन फार्म/ऐक्सल शीट भेजे थे वो उसी समय अस्वीकार हो गये थे ।

इस पत्र के अनुसार, भारत सरकार के पोर्टल पर बैंक द्वारा कृषको से संबन्धित डाटा एंट्री किया गया। पोर्टल बंद होने के पश्चात् , केन्द्र शासन द्वारा उनके पत्र कमांक 23.05.2018 के माध्यम से यह निर्देश दिया गया कि खरीफ 2017 मौसम के रिकन्सीलेशन में विलंब होने के कारण जिन कृषकों का पोर्टल पर डाटा दर्ज नही किया जा सका, उनके केन्द्र शासन द्वारा प्रदाय 34 कॉलम वाली एक्सेल टेंप्लेट अथवा declaration/घोषणा पत्र , बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को तत्काल उपलब्ध करायें जाए, जिससे कि खरीफ 2017 के समस्त कृषकों को बीमा का लाभ उठाया जाए। इसी के अनुक्रम में ,राज्य शासन ने भी अपने पत्र दिनांक 25.05.2018 जो SLBC (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) व प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक को लिखा था, के माध्यम से समस्त बैंकों को उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।

साथ ही, उक्त कृषकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र (34 कॉलम वाली फाइल -- सामान्य एक्सेल से भिन्न) [illegible] को उपलब्ध कराई जाए जिसे पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा अपलोड कर राज्य शासन व केन्द्र शासन के प्रीमियम [illegible] भुगतान किया जाएगा। उक्त रिकन्सीलेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.07.2018 को [illegible] इस दिनांक तक भी बैंक ने कृषक से संबन्धित कोई भी जानकारी/आंकड़े बीमाकन हेतु बीमा कंपनी को [illegible] नहीं किए ।

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

Scanned by CamScanner

पत्र/शिका-3

एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Agriculture Insurance Company of India Ltd.

म.प्र. क्षेत्रीय कार्यालय--एल.आई.सी आंचलिक कार्यालय बिल्डिंग, प्रथम तल, नॉर्थ विंग, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 011

MP, RO.– LIC Zonal office Building-60 B, 1st Floor, North Wing Hoshangabad Road, Bhopal-462 011

Phones : 0755-2700131,132,133, Fax : 0755-2700199 Toll Free No. 18001030061, e-mail-ro.bhopal@aicofindia.com

इसके पश्चात् भी, कुछ बैंकों ने नियत समयावधि में बीमांकन की जानकारी प्रदाय नहीं की थी एवं उन बैंकों ने राज्य शासन को एप्रोच किया एवं राज्य शासन द्वारा कार्यवाहित बैठक के पश्चात् कृषक हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि वे बैंक जिनके द्वारा कृषक अंश राशि नियत समयावधि में काटकर बीमा कंपनी को प्रेषित की गयी है , परंतु उनसे संबन्धित कृषको की एंट्री बैंक द्वारा केन्द्र शासन के पोर्टल / केन्द्र शासन द्वारा प्रदाय एक्सेल टेंप्लेट / घोषणापत्र पर नहीं की गयी है, वैसे बैंकों से जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षण के पश्चात् दावा अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाए ।

इस संदर्भ में यह अवगत हो कि उक्त अनुमोदन केवल उन बैंकों हेतु ही दी गयी थी, जिन्होंने राज्य शासन को पुनः जानकारी पेश करने हेतु एप्रोच किया था एवं जिन बैंकों का उल्लेख राज्य शासन द्वारा कार्यवाही बैठक में किया गया था, जिस में नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कानवन का उल्लेख नही था। यदि बैंक ने नियत अवधि (02 / 07 / 2018) के पश्चात् किसानों की फसल एवं नाम का विवरण भेजा भी हो तो वह राज्य शासन व केन्द्र शासन द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशानुसार, फसल बीमा हेतु स्वीकार योग्य नहीं थी।

दिनांक 02 / 07 / 2018 पोर्टल से डाटा डाउनलोड किया गया एवं रिकंसिलेशन के द्वारा मिली जानकारी मिलान के बाद उस डाटा के आधार पर दावा की गणना की गई है। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के अनुपालन करने के पश्चात् डाटा सम्मिलित कर अंतिम संशोधित डाटा के आधार पर योजनानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

फसल बीमा का पोर्टल www.pmfby.gov.in - केंद्र शासन के अधीन है एवं इसका संचालन एवं नियंत्रण भी केंद्र शासन के द्वारा ही किया जाता है । बैंक द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ो को संशोधित करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास नहीं रहता है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशों की कंडिका XXIV4(e) के अनुसार यदि बैंक द्वारा त्रुटि होने से कोई कृषक दावा राशि से वंचित रहता है तो संबंधित वित्तीय संस्थायें ही ऐसी हानियों की भरपाई के लिये जिम्मेदार रहेंगी।

धन्यवाद ।

भवदीय

(एस. पटनायक)
क्षेत्रीय प्रबंधक

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

Scanned by CamScanner